## वार्षिक निरीक्षण टिप्पणी द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, कानपुर–नगर।

निरीक्षण अधिकारी का नाम : **अजय कुमार त्रिपाठी**
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कानपुर–नगर।

निरीक्षण की तिथि : **16.02.2023 व 17.02.2023**

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर–नगर के प्रशासनिक आदेश संख्या 03, दिनांकित 02.01.2023 के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 16.02.2023 व 17.02.2023 को न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के कार्यालय एवं न्यायालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया।

इस न्यायालय में वर्तमान में पीठासीन अधिकारी श्रीमती स्नेहा कार्यरत हैं। निरीक्षण के समय पीठासीन अधिकारी न्यायालय मे उपस्थित थीं।

इस न्यायालय की पीठासीन अधिकारी के द्वारा किये गये त्रैमासिक निरीक्षण का विवरण संलग्न प्रारूप सं0–01 में प्रदर्शित किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा माह–सितम्बर में त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक 29.09.2022 एवं 30.09.2022, माह–दिसम्बर में त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक 17.12.2022 एवं 19.12.2022 को किया गया है, तथ निरीक्षण टिप्प्णी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के पश्चात् कमशः दिनांक 15.10.2022 व 06.01.2023 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर नगर के प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कराये गये हैं। संलग्न प्रोफार्मा सं0–01 को देखने से स्पष्ट है कि त्रैमासिक निरीक्षण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के पश्चात् माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर को माह मार्च व जून की निरीक्षण टिप्पणियां न्यायालय रिक्त होने के कारण प्रेषित नही की गयी हैं। अतः सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में समय से नक्शे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के समय निम्नलिखित कर्मचारीगण कार्यरत पाये गये।

| क्रम सं0 | कर्मचारी का नाम | पदनाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री सुनील त्रिवेदी | रीडर | 07.07.2022 |
| 2 | श्री देवशरण विश्वकर्मा | आशुलिपिक | 13.07.2022 |
| 3 | श्री हर्षित गुप्ता | लिपिक | 15.07.2022 |
| 4 | श्री प्रदीप चन्द्र मिश्रा | लिपिक | 11.01.2023 |
| 5 | श्री विपिन यादव | लिपिक | 14.02.2023 |
| 6 | श्री अश्वनी कुमार | लिपिक | 14.02.2023 |
| 7 | श्री रामकृष्ण यादव | दफ्तरी | 15.02.2023 |
| 8 | श्री विमल कुमार श्रीवास्तव | अर्दली | 15.02.2023 |

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस न्यायालय में रीडर द्वारा गार्ड फाईलें अनुरक्षित की जा रही हैं, जिनका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया।

**<u>प्रथम गार्ड फाइल</u>** – यह गार्ड फाइल माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशों से संबंधित है, जिसमें लेबिल नहीं लगा हुआ है तथा सूची पत्र पूर्ण नहीं है। उक्त गार्ड फाइल के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित आदेशों को चस्पा किया गया है किन्तु गार्ड फाइल में कुछ प्रपत्र फटी अवस्था में तथा बिना चस्पा स्थिति में लूज पेपर के रूप में रखे पाये गये हैं, जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। अतः न्यायालय के रीडर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गार्ड फाइल में लेबिल लगाकर उसमें सूची पत्र पूर्ण करें तथा प्रपत्रों को सूचीबद्ध करें तथा लूज रखे प्रपत्रों को सुरक्षित ढंग से चस्पा करें।

**<u>द्वितीय गार्ड फाईल</u>** – यह गार्ड फाइल मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेशों से संबंधित है, जिसमें लेबिल नहीं लगा हुआ है तथा सूची पत्र पूर्ण नहीं है। उक्त गार्ड फाइल के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को चस्पा किया गया है, किन्तु गार्ड फाइल में कुछ प्रपत्र फटी अवस्था में तथा बिना चस्पा स्थिति में लूज पेपर के रूप में रखे पाये गये हैं, जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। अतः न्यायालय के रीडर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गार्ड फाइल में लेबिल लगाकर उसमें सूची पूर्ण करें तथा प्रपत्रों को सूचीबद्ध करें तथा लूज रखे प्रपत्रों को सुरक्षित ढंग से चस्पा करें।

**<u>तृतीय गार्ड फाइल</u>** – यह गार्ड फाइल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों से संबंधित है, जिसमें लगा लेबिल फटा हुआ है तथा सूची पत्र पूर्ण नहीं है। उक्त गार्ड फाइल के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को चस्पा किया गया है, किन्तु गार्ड फाइल में कुछ प्रपत्र फटी अवस्था में तथा बिना चस्पा स्थिति में लूज पेपर के रूप में पाये गये है, जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। अतः न्यायालय के रीडर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गार्ड फाइल में लेबिल लगाकर उसमें सूची पत्र पूर्ण करें तथा प्रपत्रों को सूचीबद्ध करें तथा लूज रखे प्रपत्रों को सुरक्षित ढंग से चस्पा करें।

न्यायालय के रीडर द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों से संबंधित कोई गार्ड फाइल तैयार नहीं की गयी है, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः रीडर को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों से संबंधित गार्ड फाइल तैयार कर उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को नियमानुसार चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें। पीठासीन अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अवलिम्ब उक्त गार्ड फाइल रीडर द्वारा तैयार कराकर उसका अवलोकन करें।

निरीक्षण के दौरान न्यायालय कक्ष के बाहर हाथ से बनी काज लिस्ट दिनांक 16.02.2023 व 17.02.2023 की लगी पायी गयी। साप्ताहिक काज लिस्ट नहीं लगायी गयी है। अतः रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमित कम्प्यूटर जनित

साप्ताहिक काज लिस्ट लगाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय निरीक्षण के दौरान कुछ पत्रावलियां मेज पर रखी मिलीं, जिनके बारे में लिपिकगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि उक्त पत्रावलियॉ न्यायालय से वापस आयी हैं और ऐसी पत्रावलियों को दैनिक डायरी में खारिजा लगाकर व्यवस्थित कर आलमारियों के अंदर रख दिया जाता है। इस सम्बन्ध में लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पत्रावलियों को ठीक कर आलमारियों में रखना व निर्णीत पत्रावलियों को अविलम्ब दाखिल करना सुनिश्चित करें व पीठासीन अधिकारी को अवगत करायें।

इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को थाना–बजरिया, थाना–कल्यानपुर, थाना–नौबस्ता, थाना–पनकी तथा विशेष अधिनियम सी0बी0सी0आई0डी0, ई0ओ0डब्लू0, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, यूनियन ऑफ इण्डिया, कस्टम अधिनियम, प्लास्टिक एक्ट, आर0ओ0सी0, वन अधिनियम तथा ट्रेडमार्क अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, आर0बी0आई0 एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट, विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, वक्फ अधिनियम एवं सरफेसी अधिनियम एवं अन्य स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त होने वाले वादों की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिनका लिपिकगण के मध्य विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है :–

**1–श्री प्रदीप चन्द्र मिश्रा (लिपिक)** को थाना–बजरिया से संबंधित समस्त पत्रावलियों एवं सी0बी0सी0आई0डी0, ई0ओ0डब्लू0, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, यूनियन ऑफ इण्डिया, कस्टम अधिनियम, प्लास्टिक एक्ट, आर0ओ0सी0, वन अधिनियम तथा ट्रेडमार्क अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट एवं अर्थदण्ड पंजिका के नियमानुसार रख–रखाव हेतु निर्देशित किया जाता है।

**2–श्री विपिन कुमार यादव (लिपिक)** को थाना–कल्यानपुर से संबंधित समस्त पत्रावलियों एवं आर0बी0आई0 एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट के रख–रखाव एवं अन्य न्यायालयों से स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त होने वाली समस्त पत्रावलियों के रख–रखाव हेतु निर्देशित किया जाता है।

**3–श्री हर्षित गुप्ता (लिपिक)** को थाना–नौबस्ता से संबंधित समस्त पत्रावलियों के रख–रखाव एवं उनसे संबंधित कार्य करने एवं समस्त प्रकार के नक्शों से संबंधित कार्य का नियमानुसार सम्पादन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

**4–श्री अश्वनी कुमार (लिपिक)** को थाना–पनकी से संबंधित समस्त पत्रावलियों एवं विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, वक्फ अधिनियम एवं सरफेसी अधिनियम से संबंधित पत्रावलियों के रख–रखाव एवं उनसे संबंधित कार्य का सम्पादन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

इस न्यायालय में (दिनांक 01.01.2022 से 03.07.2022 तक न्यायालय रिक्त) दिनांक 04.07.2022 को 25062 वाद तथा दिनांक 31.12.2022 को 23422 वाद लम्बित दर्शाये गये हैं, जिन्हें संलग्न प्रोफार्मा में प्रदर्शित किया गया है।

इस न्यायालय में लम्बित वर्षवार वादों का विवरण देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 31.12.2022 को लम्बित सत्र परीक्षणीय वादों की संख्या 41, वारण्ट ट्रायल के मामलों की संख्या 9032, समन ट्रायल मामलों की संख्या 13361, समरी परीक्षणीय वादों की संख्या 318 तथा प्रकीर्ण मामलों की ट्रायल मामलों की संख्या 670 है। कन्टेस्टेड वादों के निर्णीत किये जाने से संबंधित विवरण संलग्न विवरण पत्रों में प्रदर्शित किया गया है। विवरण पत्रों के अनुसार 21 वारण्ट ट्रायल एवं 02 समन ट्रायल निर्णीत किये गये हैं। इस प्रकार कुल 23 वादों का निस्तारण किया गया है।

इस न्यायालय में आयुध अधिनियम, आबकारी अधिनियम तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित 06 माह व 01 वर्ष से अधिक पुराने वादों का विवरण प्रोफार्मा सं0 8डी में प्रदर्शित किया गया है। उक्त विवरण के अनुसार आयुध अधिनियम से संबंधित 57 वाद, जुंआ अधिनियम से संबंधित 19 वाद, आबकारी अधिनियम से संबंधित 61 वाद तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित 1751 वाद 06 माह से अधिक पुराने लम्बित है। इसी प्रकार आयुध अधिनियम से संबंधित 41 वाद तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित 1323 वाद एक वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा जुंआ अधिनियम एवं आबकारी अधिनियम से संबंधित क्रमशः 13 व 52 वाद एक वर्ष पुराना लम्बित है। इस प्रकार 06 माह से अधिक की अवधि के कुल 459 वाद तथा 01 वर्ष से अधिक पुरानी अवधि के कुल 1429 वाद न्यायालय में लम्बित चल रहे हैं। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रोफार्मा सं0 8डी में वर्णित पुराने वादों में शीघ्र की तिथियां नियत कर उनका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

Noted for compliance
&
Spl Com
Kanpur Nagar

पीठासीन अधिकारी द्वारा (दिनांक 01.01.2022 से 03.07.2022 तक न्यायालय रिक्त) दिनांक 04.07.2022 से 31.12.2022 के मध्य पूर्ण परीक्षण के उपरान्त कुल 173 वादों को निर्णीत किया गया है। प्रोफार्मा सं0–9बी 1ए, प्राफार्मा सं0–9बी 1बी तथा प्रोफार्मा सं0–9बी 1सी से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पुराने वादों का निस्तारण रूचि लेकर करने का प्रयास किया गया है।

इस न्यायालय में (दिनांक 01.01.2022 से 03.07.2022 तक न्यायालय रिक्त) दिनांक 04.07.2022 को लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों की कुल संख्या एवं दिनांक 31.12.2022 को शेष विभिन्न प्रकार के लम्बित वादों की कुल संख्या प्रोफार्मा सं0–11 में दर्शायी गयी है। वर्ष–2022 में विभिन्न प्रकार के संस्थित एवं निस्तारित एवं विचाराधीन वादों का स्वतः स्पष्ट विवरण प्रारूप सं0–11 के रूप में संलग्न किया गया है। विवरण प्रारूप सं0–11 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में वर्ष 2022 में कुल 25062 वाद संस्थित किये गये तथा 1640 वाद निस्तारित किये गये एवं वर्ष 2022 के अंत में कुल 23422 वाद विचाराधीन हैं। इनमें सत्र परीक्षणीय मामले, वारण्ट ट्रायल, फौजदारी, प्रकीर्ण एवं समरी ट्रायल के वाद सम्मिलित हैं।

इस न्यायालय में विचाराधीन 10 पुराने वादों के नम्बर व अन्य विवरण संलग्न प्रारूप सं0–8बी में दर्शाये गये हैं। इस न्यायालय में लम्बित सबसे पुराना अपराध

सं0–174/1991, सरकार बनाम रामसुमेर, अंतर्गत धारा–279, 338 भारतीय दण्ड संहिता, थाना नौबस्ता, कानपुर नगर है। अतः पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

P Noted for compliance & Spl.Econ Kanpur Nagar

इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अभियोजन द्वारा जो प्रपत्र दाखिल किये जाते है, उन पर अभियुक्त के अधिवक्ता से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत का इन्द्राज धारा–294 द0प्र0सं0 के तहत करा लिया जाता है।

न्यायालय में कार्यरत रीडर द्वारा बताया गया कि सामान्यतः आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र एवं जमानत प्रार्थना पत्र जिस दिन दाखिल किये जाते है, उनका निस्तारण उसी दिन कर दिया जाता है। यदि अभियोजन द्वारा थाने से आख्या मंगाये जाने हेतु समय चाहा जाता है तो समय प्रदान कर दिया जाता है और दूसरे दिन थाने से आख्या प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर एवं जमानत बन्धपत्रों के स्वीकृत होने के उपरान्त अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को अविलम्ब नजारत के माध्यम से रिहाई परवाना भेज दिया जाता है।

इस न्यायालय में जमानत की अधिकतम धनराशि 25,000/–रूपये से अधिक होने पर प्रतिभू का सत्यापन कराया जाता है तथा प्रतिभूओं की आर्थिक स्थिति हैसियत का सत्यापन होने पर ही प्रतिभू पत्रों को स्वीकार किया जाता है, जो जमानतनामे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं, उन्हें प्रस्तुत होते ही स्वीकार कर लिया जाता है। फिर भी यदि किसी जामिनदार की हैसियत के बारे में कोई संदिग्धता उत्पन्न होती है तो उसके सत्यापन हेतु संबंधित अधिकारी से सत्यापित कराया जाता है। सत्यापन के आधार पर उसे निरस्त या स्वीकार किया जाता है। जिन जमानतनामों को स्वीकार कर लिया जाता है, उसका उसी दिन परवाना रिहाई जेल अधीक्षक, जिला कारागार को नजारत के माध्यम से भेज दिया जाता है। निरीक्षण के समय कोई भी ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया, जिसमें परवाना रिहाई विलम्ब से भेजा गया हो या न भेजा गया हो। यह भी अवगत कराया गया कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय मामले में जमानत स्वीकार नही की जाती है।

इस न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसे उसी दिन पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखा जाता है, जिस पर पीठासीन अधिकारी पंजिका में दर्ज किये जाने का आदेश पारित करते हैं तथा अपने हस्ताक्षर व दिनांक भी अंकित करते हैं। संबंधित लिपिकगण उसे पंजिका में दर्ज करते हैं।

इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि सामान्यतः परिवाद दाखिल होने पर परिवादी का बयान अंतर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता उसी दिन, जिस दिन, परिवाद दाखिल होता है, दर्ज किया जाता है। फिर भी कार्य की अधिकता अथवा परिवादी के अनुरोध पर धारा–200 दण्ड प्रक्रिया

संहिता का बयान अंकित किये जाने हेतु अन्य तिथि नियत की जाती है। प्रायः परिवाद में परिवादी द्वारा समय की याचना किये जाने पर अन्य तिथि नियत की जाती है।

अर्थदण्ड पंजिका फार्म सं0–2 निर्धारित प्रोफार्मा पर बनायी गयी है। इसमें नियमानुसार लेबिल व हेडिंग लगा हुआ है। अर्थदण्ड पंजिका में माह के अंत में पीठासीन अधेकारी द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र टंकित कराकर चस्पा किया गया है व माह जनवरी–2023 तक की कोषागार से सत्यापित फ्लाई लीफ चस्पा की गयी है। अर्थदण्ड पंजिका में माह दिसम्बर–2022 की प्रविष्टियों में अंतिम प्रविष्टि मुकदमा नं0–242321/2022 सरकार बनाम विक्रम बाल्मीकी पर 500/–रूपये अर्थदण्ड दिनांक 12.12.2022 को अधिरोप्ति किया गया था, जिसे केन्द्रीय नजारत में जमा किया गया है।

मेरे द्वारा इस न्यायालय में अधिरोपित अर्थदण्ड से संबंधित रसीद बुक का अवलोकन किया गया। इसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुछ तिथियों पर जुर्माने की धनराशि दूसरे दिन भी नजारत में जमा की गयी है। इस संबंध में लिपिकगण व रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह जुर्माना प्राप्त होने पर उसी दिन नजारत में जमा करें तथा रीडर उक्त रसीद बुक में अभियुक्त के हस्ताक्षर कराना भी सुनिश्चित करें।

इस न्यायालय के अर्थदण्ड रजिस्टर के अनुसार कतिपय मामलों में अपीलीय न्यायालय द्वारा धनराशि स्थगित है, जिसका प्रोफार्मा संलग्न है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिन वादो को सुनवाई के लिए नियत किया जाता है, उनमें अनावश्यक रूप से तिथि नही बढ़ाई जाती हैं। प्रत्येक वाद में अगली तिथि देने कारण में गवाह का न आना या अभियोजन द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र देना आदि दर्शाया गया है। जिन वादों में साक्षी साक्ष्य हेतु उपस्थित होते हैं, यथासम्भव उनकी साक्ष्य उसी दिन अंकित की जाती है। यदि साक्षी उपस्थित है और वाद सम्पत्ति सम्बन्धित थाने से या मालखाना से प्राप्त नहीं होती है तब ऐसी स्थिति में अभियोजन की तरफ से तिथि बढ़ाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर मुकदमे में तिथि बढ़ाई जाती है। निरीक्षण के दौरान यह अवगत कराया गया कि कुछ वादों में अधिवक्तागण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिये जाने एवं कुछ वादों में समयाभाव के आधार पर तिथि बढ़ाई गयी है। जिन वादों में साक्ष्य समाप्त हो गया है, उन वादों में बहस यथासम्भव 15 दिन के अन्दर सुन ली जाती। वादों को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाता है। पर्याप्त आधार होने पर तिथि बढ़ाई जाती है तथा उसका कारण आदेश पत्र में भी अंकित किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा बताया गया कि मामलों में औसतन 35 से 40 गवाह प्रतिदिन तलब किये जाते हैं। उपस्थित होने वाले गवाहों का परीक्षण उसी दिन किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समन या वारण्ट समयावधि के अन्दर तामील होकर प्राप्त नहीं होने के कारण उन वादों में अग्रिम तिथि नियत कर दी जाती है। प्रोसेस का तामीला होने पर यदि गवाह उपस्थित नहीं आता है तो उसके

विरूद्ध जमानती या गैरजमानतीय वारण्ट जारी किया जाता है।

विवरण–पत्र में पीठासीन अधिकारी की दिनांक 17.12.2022 से लेकर 23.12.2022 तक की प्रविष्टियों का विवरण दाखिल किया गया है, जिनके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त अवधि के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा कुल 09 गवाहों के बयान अंकित किये गये हैं और कुल 04 वादों का निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

कुछ वादों की कार्यवाही अभियुक्त के उपस्थित न आने के कारण प्रभावित होती है, किन्तु पत्रावली व प्रासेस रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कतिपय मामलों में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रासेस जारी नहीं हुये हैं व कुछ वादों में विलम्ब से आदेशिकायें निर्गत हुयी हैं। अतः लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे पत्रावलियों में समय से आदेशिकायें जारी किया करें।

निरीक्षण वर्ष–2022 में न्यायालय द्वारा धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 47 वाद निस्तारित किये गये हैं। धारा–239 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया गया है।

इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा वर्ष–2022 में कुल 1640 वाद निस्तारित किये गये हैं, जिनमें 21 में दोषमुक्ति की गयी है तथ 1202 में दोषसिद्धि की गयी है। इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त परीक्षण के आधार पर कुल 1325 वाद निस्तारित किये गये है।

मेरे द्वारा पंजिका सं0–5 निरीक्षण हेतु मांगा गई तो लेपिकगण द्वारा बताया गया है कि पंजिका सं0–5 सामान्य नियमावली दाण्डिक तैयार नहीं की गयी है, जो आपत्तिजनक है। अतः लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे यथाशीघ्र इस रजिस्टर को नियमानुसार तैयार कर पीठासीन अधिकारी के सनक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें तथा भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो।

निरीक्षण अवधि में बताया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्त को दी जाने वाली निर्णय की प्रति रीडर द्वारा तत्काल अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को निःशुल्क प्राप्त करा दी जाती है। निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार इस न्यायालय में कतिपय मुकदमों की कार्यवाहियॉ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित हैं, जिनमें से कुछ पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्धारित प्रारूप पर पूछताछ नहीं की गयी है। लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि मुकदमों की कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को अविलम्ब अनुरोध पत्र प्रेषित किया करें। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर अनुभाग से स्थगनादेशों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के दौरान मुआयना हेतु प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के केन्द्रीय मुआयना कार्यालय में किया जाना नहीं पाया गया। पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देखें कि कोई पत्रावली बिना सवाल मुआयना प्रार्थना पत्र के किसी को न दिखायी जावे। लिपिकगण को निर्देशित किया

जाता है कि कोई भी पत्रावली बिना मुआयना प्रार्थना पत्र के किसी को न दिखायी जाए।

मैंने इस न्यायालय के कार्यालय की कुछ पत्रावलियों का निरीक्षण किया, जिनमें से कुछ पत्रावलियॉ निम्नलिखित हैं :–

1– मुकदमा नम्बर–5553/2008, सरकार बनाम सियाराम आदि, मु0अ0सं0 338/2008, अंतर्गत धारा–323, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–पनकी, कानपुर नगर से संबंधित है। उक्त दण्ड वाद में दिनांक 25.09.2008 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और दिनांक 06.10.2009 को न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है। उक्त दण्ड वाद में दिनांक 01.03.2023 साक्ष्य हेतु नियत है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमबद्ध तरीके से न्हीं रखे गये हैं तथा स्टाम्पों का निरस्तीकरण व पंचिंग नहीं किया गया है। प्रार्थना प्त्र जहॉ तहॉ रखे पाये गये हैं। अतः संबंधित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थनापत्रों को क्रमबद्ध तरीके से नत्थी करना सुनिश्चित करें तथा स्टाम्प को निरस्त करना सुनिश्चित करें।

2– मुकदमा नम्बर–2898/2015, मु0अ0सं0–181/2015, सरकार बनाम भुन्नू, अन्तर्गत धारा–323, 325, 504, थाना–नौबस्ता, कानपुर नगर विचाराधीन हैं। उक्त दण्ड वाद में दिनांक 17.09.2015 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और दिनांक 19.09.2015 को आरोप विरचित किया गया है। उक्त दण्ड वाद में दिनांक 01.03.2023 साक्ष्य हेतु नियत है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखे गये हैं तथा स्टाम्पों का निरस्तीकरण व पंचिंग नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र जहॉ तहॉ रखे पाये गये हैं। अतः संबंधित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थनापत्रों को क्रमबद्ध तरीके से नत्थी करना सुनिश्चित करें तथा स्टाम्प को निरस्त करना सुनिश्चित करें।

3– मुकदमा संख्या–8130/2010, सरकार बनाम राजाराम, मु0अ0सं0–445/2000, अंतर्गत धारा–409 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–कल्यानपुर, कानपुर नगर इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पत्रावली में आरोप पत्र दिनांक 02.12.2000 को दाखिल हुआ है एवं दिनांक 28.02.2001 को आरोप विरचित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पत्रावली का रख रखाव ठीक ढंग से किया जा रहा है।

मेरे द्वारा इस न्यायालय में अनुरक्षित कुछ रजिस्टरों का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार हैं :–

**<u>रजिस्टर नंबर–9</u>** – यह रजिस्टर वर्ष–2016 से प्रारंभ है। इस रजिस्टर में लेबिल चस्पा है, किन्तु उसमें हैडिंग नहीं लगा है। यह रजिस्टर सादे कागज पर लाईन खींचकर बनाया गया है। इस रजिस्टर में अंतिम इन्द्राज मुकदमा नंबर–28129/2023, अ0सं0–783/2022, सरकार बनाम संदीप सचान, धारा–379, 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–नौबस्ता, कानपुर नगर का अंकित है। इस रजिस्टर में पत्रावलियों को दर्ज करने की तिथि अंकित नहीं है। अतः सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता

है कि वह इस रजिस्टर में सही ढंग से हैडिंग चस्पा कर न्यिमानुसार पूर्ण रूप से प्रविष्टियां अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>प्रकीर्ण वाद रजिस्टर (रजिस्टर नं0–11)</u> – यह रजिस्टर सादे कागज पर लाईन खींचकर बनाया गया है। इसमें लेबिल चस्पा है, लेकिन हैडिंग नहीं लगा है। यह रजिस्टर जनवरी–2016 से प्रारंभ है। इस रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि प्रकीर्ण वाद संख्या–742/2023, मु0अ0सं0–143/2023, वादी शिवम वर्मा, थाना–नौबस्ता, कानपुर नगर की अंकित है। अतः सम्बन्धित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इस रजिस्टर में सही ढंग से हैडिंग चस्पा कर नियमानुसार पूर्ण रूप से इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>रजिस्टर नं0–45</u> –

यह रजिस्टर जनवरी–2016 से प्रारंभ है। इस रजिस्टर में लेबिल चस्पा है, लेकिन हैडिंग नहीं लगा है। यह रजिस्टर सादे कागज पर लाईन खींचकर बनाया गया है। इस रजिस्टर में अंतिम इन्द्राज मुकदमा नं0–2773/2012, मु0अ0सं0 78/2005, सरकार बनाम बड़े बउवा उर्फ राजेन्द्र, धारा–18/22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट, थाना बजरिया, कानपुर नगर दर्ज है, जो दिनांक 16.02.2023 को उपशमित है। अतः सम्बन्धित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इस रजिस्टर में सही ढंग से हैडिंग चस्पा कर नियमानुसार पूर्ण रूप से इन्द्राज किया करें।

<u>जमानत रजिस्टर</u> –

यह रजिस्टर रीडर द्वारा पोषित किया गया है। इस रजिस्टर में लेबिल चस्पा है व हेडिंग लगा हुआ है। यह रजिस्टर लाइनदार पन्नों पर बनाया गया है। इस रजिस्टर में जमानत प्रार्थनापत्र प्रतिदिन अंकित किये जाते है। उक्त जमानत रजिस्टर को देखने से यह प्रतीत होता है कि जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण सामान्यतः उसी दिन कर दिया जाता है। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि जमानत प्रार्थना पत्र सं0–39/2023 राजेश तिवारी, धारा–376, 506 भा0द0सं0, थाना–नौबस्ता, कानपुर नगर की अंकित है।

<u>खर्चा गवाह रजिस्टर</u> –

निरीक्षण के दौरान खर्चा गवाहन रजिस्टर मांगा गया तो रीडर/लिपिकगण द्वारा बताया गया कि उक्त रजिस्टर नहीं बना है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः रीडर/लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अविलम्ब उक्त रजिस्टर बनाकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

<u>बयान रजिस्टर</u> –

यह पंजिका मुन्सरिम/रीडर द्वारा पोषित की गयी है। मेरे द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया गया। इसमें लेबिल व हैडिंग नही लगा हुआ है तथा रजिस्टर में कवर भी नहीं चढ़ाया गया है। मुकदमों से संबंधित जिस पक्षकार को बयान की कार्बन प्रति प्रदान की जाती है, उस पक्षकार से बयान की धनराशि प्राप्त की जाती है तथा उसका इन्द्राज इस पंजिका में किया जाता है और प्राप्त धनराशि को उसी दिन या

दूसरे दिन केन्द्रीय नजारत में प्राप्त करा दिया जाता है। इस रजिस्टर के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि यह रजिस्टर माह के अन्त में पीठासीन अधिकारी के सम्मुख नहीं प्रस्तुत किया जाता है। इस पर पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर नहीं प्राप्त किये गये हैं। इस रजिस्टर के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 16.02.2023 को अंकित किये गये बयानों के एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि दिनांक 16.02.2023 को केन्द्रीय नजारत में जमा की गयी है। अतः रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन बयान के रूपयों को केन्द्रीय नजारत में समय से जमा किया करें। इस संबंध में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रजिस्टर का अवलोकन प्रतिदिन करके अपने लघु हस्ताक्षर बनाया करें। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि वाद सं0–95646 / 2022, राज्य बनाम सागर गौतम की अंकित है।

PO Noted for compliance & Spl com Kanpur Nagar

यह न्यायालय नये बहुखण्डीय भवन के तृतीय तल पर कक्ष सं0–38 में स्थित है तथा इस न्यायालय के दो कार्यालय नये बहुखण्डीय भवन के तृतीय तल पर स्थित हैं तथा दो कार्यालय भूतल पर सी0एम0एम0 न्यायालय से लगे हुए स्थित हैं।

मेरे द्वारा तृतीय तल पर स्थित उक्त न्यायालय के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। यहाँ लिपिक श्री प्रदीप चन्द्र मिश्रा उपस्थित पाये गये। लिपिक द्वारा बताया गया कि उनकी नियुक्ति दिनांक 23.01.2023 से इस कार्यालय में है, व उनके पास थाना बजरिया एवं विशेष अधिनियम की पत्रावलियाँ हैं।

निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कुछ पत्रावलियां मेज पर रखी पायी गयीं, जिनके बारे में लिपिक द्वारा पूछने पर बताया गया कि पत्रावलियाँ अदालत से वापस आयी है, जिनको दैनिक डायरी में खारिजा लगाकर अलमारियों के अंदर रख दिया जाता है। लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पत्रावलियों को ठीक कर नियत स्थान पर रखा जाना सुनिश्चित करें।

पीठासीन अधिकारी का अपने कार्यालय पर प्रभावी नियन्त्रण है।

दिनांक 17.02.2023

(हस्ताक्षर) 17/2/23
(अजय कुमार त्रिपाठी–II)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

निरीक्षण टिप्पणी सम्बन्धित न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि आवश्यक अनुपालन के पश्चात् माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित करें।

दिनांक 17.02.2023

(हस्ताक्षर) 17/2/23
(अजय कुमार त्रिपाठी–II)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।